समयाभाव के कारण आदेश नहीं लिखाया जा
सका। वास्ते पत्रावली आदेश हेतु नियत दिनांक
6.8.24 को पेश हो।

6.8.24 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित।
बहस प्रार्थना पत्र 251 RTA पर सुनी गई। बहस में
वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए
निवेदन किया कि ग्राम उम्मेदपुरा प०ह० बावड़ी में
प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की आ०नं० 176 रकबा
0.0379 हैक्टेयर व आ०नं० 175 रकबा 0.7461 हैक्टेयर में
काश्त करने के लिए आने जाने हेतु व ट्रैक्टर, संज बैल
ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता है। रास्ता रिकॉर्ड
नहीं है परन्तु प्रार्थीगण अपनी आराजीयात में आने
जाने के लिए रास्ते के रूप में विपक्षीगण की आ०नं०
179-170-171-174 की मेड़ के सहारे-सहारे आते जाते
है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है
यही लघुत्तम मार्ग है जिसकी राशी नियमानुसार
प्रार्थीगण जमा करने को तैयार है। प्रार्थीगण के द्वारा
प्रस्तावित आराजीयात में से रास्ते की स्थिति की रिपोर्ट
तहसीलदार माण्डल से प्राप्त की गई। तहसीलदार मांडल
के पत्रांक/राजस्व/2024/- पटवारी हल्का बावड़ी व
भू अभिलेख निरीक्षक भेजा द्वारा प्रशासन गांवों के
संग अभियान दिनांक 1-11-2021 को आ०नं० 179-170-
171-174-175-176 का रास्ते बाबत मौका देखा जिसका
पर्चा मौका तैयार किया जाकर न्यायालय को भिजवाया
जिस अप्रार्थी संख्या 8 रामेश्वर पिता भैरू जाट के
द्वारा आपत्ति का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा०दी०
का प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी
रामेश्वर पिता भैरू जाट का प्रार्थना पत्र धारा 151 CPC

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

मौका निरीक्षण कर रास्ते
स्वीकार करते हुए पुनः मौका निरीक्षण कर रास्ते बाबत रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार माण्डल को लिखा गया। तहसीलदार माण्डल के पत्रांक/राजस्व/2023/316 दिनांक 13/2/2023 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस में वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थीगण अपनी आराजी में पहुंच हेतु आ०नं० 165-166-161 किस्म चरागाह से होकर प्रार्थीगण अपने पूर्वजों से आ जा रहे हैं उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण भी इसी रास्ते से आ-जा रहे हैं। दिनांक 1-11-21 को बनाए गए पर्चा मौका में आ०नं० 160-161-165-166 में से होकर प्रार्थीगण आ जा सकते हैं पुनः न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया परन्तु दि० 7/2/23 को भू अभिलेख निरीक्षक मेजा के द्वारा जो पर्चा मौका बनाया वह बिना पक्षकारों को सूचित कराये व पर्चा मौका पर पक्षकारों के हस्ताक्षर भी नहीं करवाये। प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में पहुंच हेतु यह रास्ता विद्यमान है हम जवाबदारान की आराजी नं० 171-170-174-179 में कोई रास्ता विद्यमान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बहस के तथ्यों एवं तहसीलदार माण्डल से प्राप्त रास्ते की रिपोर्ट दि० 1-11-21 व 13/2/23 के अध्ययन से जाहिर आया कि दिनांक 1-11-2021 प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत तैयार की गई रिपोर्ट में प्रार्थीगण की खातेदारी की आ०नं० 175 व 176 में पहुँच हेतु प्रस्तावित रास्ता आ०नं० 171-170-174-179 के अलावा अन्य रास्ता नहीं है विवादित रास्ता पूर्व में खुला था वर्तमान में बन्द है। उक्त आराजीयात में

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
से रास्ते से, कुल 7326 वर्गफीट की आवश्यकता होगी। द्वितीय रास्ता आ०नं० 161-165-166 किस्म चरागाह में से होकर प्रस्तावित किया है जिसमें लिया जाने वाला रकबा 10890 वर्गफीट की आवश्यकता होगी। उक्त दोनों रास्तों के सम्बन्ध में तुलना करने पर लघुत्तम रास्ता 7326 वर्गफीट वाला है। जैसा कि RTA की धारा 251 में रास्ते बाबत जो बिन्दु है 1- आत्यन्तिक आवश्यकता 2- लघुत्तम रास्ता 3- वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो। यहाँ उक्त तीनों बिन्दुओं से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि पर पहुँच हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है अप्रार्थीगण की आ०न० 171-170-174-179 में प्रचलित रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं सबसे लघुत्तम मार्ग है। चरागाह आराजीयात में से रास्ता स्वीकृत किया जाना विधिसम्मत नहीं है। प्रार्थीगण रास्ते हेतु जितने क्षेत्रफल भूमि उपयोग में ली जाएगी उसका DLC दर से दुगुनी राशि 50536=00 रु० जमा कराने को सहमत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 RTA का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार माण्डल को आदेशित किया जाता है कि ग्राम उम्मेदपुरा प०स० बावड़ी की आ०न० 179 रकबा 0.3162 हे० में से 2178 वर्गफीट आ०न० 170 रकबा 0.2276 हैक्टर में से 2310 वर्गफीट,	

आ०न० 171 रकबा 0.2529 हैक्टर में से 660 वर्गफीट, आ०न० 174 रकबा 0.8600 हैक्टर में से 2178 वर्गफीट कुल रकबा 7326 वर्गफीट (0.0681 हैक्टर) तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में दर्शाये अनुसार अप्रार्थीगण के खाते में से कमी करते हुए राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा ट्रेस में रास्ते के रूप

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

नक्शे में तरमीम का दर्ज करे। प्रार्थीगण रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0681 हेक्टर की राशि 50536=00 रु० जमा कराने पर आदेश प्रभावी होगा। तहसीलदार माण्डल के नाम आदेशानुसार पालना हेतु तहरीर जारी करें जिसके साथ नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति भिजवावे। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा